

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला अजमेर

क्रमांक - रीडर/19/ 82

दिनांक 31/7/19

-: आदेश :-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक राजस्व(गुप-6) विभाग जयपुर के परिपत्र पत्रांक प.3 राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अनुसार चालू स्थाई रास्तों के राजस्व अभिलेख में अंकन की कार्यवाही की जानी है।

उक्त रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131,132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 53,59,60,66 एवं 86 के अनुसार तहसीलदार मसूदा द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व अनुशंषा अनुसार भूमि नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में गै.मु. रास्ता एवं नक्शे में लाल स्याही से अंकन करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार मसूदा उक्त आदेश के अनुसार पालना सुनिश्चित कर 15 दिवस में मय रेकार्ड की प्रति सहित पालना प्रेषित करे।

पटवार मण्डल :- धोलादांता

तहसील :- मसूदा

क्र. सं.	पोर्टल क्रमांक	वर्तमान जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि					नवीन(रास्ता हेतु) प्रविष्टि		
		तहसीलदार मसूदा के पत्रांक नम्बर मय दिनांक	ग्राम का नाम	खसरा न.	कुल रकबा (बीघा)	किस्म जमीन	खसरा न.	रकबा(बीघा)	किस्म जमीन
1	2019/00122	3342 15.07.2019	रागपुरा	1194	19-10-00	गै.मु. दांती	1194	00-11-00	गै.मु. रास्ता
2	2019/00122	3342 15.07.2019	रागपुरा	1406	231-00-00	गै.मु. दांती	1406	02-17-00	गै.मु. रास्ता
3	2019/00121	3341 15.07.2019	धोलादांता	545/3	173-14-00	बरड़ा	545/3	04-11-00	गै.मु. रास्ता
4	2019/00120	3340 15.07.2019	धोलादांता	437 मिन	01-15-00	पहाड़	437 मिन	01-10-00	गै.मु. रास्ता

नोट:- अवशेष इन्द्राज यथावत रहेंगे।

(मोहनलाल खटनावलिया)  
उपखण्ड अधिकारी  
(एस.डी.एम.)मसूदा (अजमेर)

